

ग्राम सभा - बोरिंगोव की बैठक दिनांक 02/10/2016

कार्यवाही का विवरण

ग्राम पथरी स्थान सभा भवन बोरिंगोवआज दिनांक 02/10/2016 का ग्राम पंचायत बोरिंगोव के सरपंच श्री/श्रीमति हिरींदी मोदी

की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 70 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों में चर्चा की गई -

ग्राम पथरी में आवेदक कार्यपालन अभियंता छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0 रायपुर ने (गैर वानिकि कार्य) के लिए वन भूमि में व्यपवर्तन हेतु 4.501 हे0, कक्ष क0 1060 वन भूमि, 3.703 हे0 राजस्व वन भूमि, कुल 8.604 हे0 वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर-परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहें हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को हक प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
1.	पथरी	चतुरसिंग	1.0
2.		रविशंकर / विष्णु	0.3
3.		राधेश्याम / श्याम लाल	0.05
4.		मोहन / बुधराम	0.70
5.		डोमार / जयलाल	0.05
6.		जयलाल / विश्राम	0.05
7.		पीलाराम / घासीराम	0.003
8.		शंकरलाल / उमेन्द्रसिंग	0.06
9.		कोशींगलाल / करणसिंग	0.465
10.		मयाराम / कोमल	0.1
11.		त्रिलोक / कचरु	0.465
12.		कालेन्द्री / तिहारु	0.46
		कुल	3.703

११०
द्वितीय भाग
संस्कृत
हस्ताक्षर संस्कृत
ग्राम प्रयागल बाइपाठ
ज.प्र. मैत्रपुर, जि. ग. गरियाबंद (छ.ग.)

महाराष्ट्र
अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
- पंथरी -

पुस्तक

मात्र दिनांक 02/10/2016 दिन रविवार को वन प्रबंधन
समिति पथरी की आवश्यक बैठक शाखा परिसर पर
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यो के बीच
रखा गया जिसमें ग्राम पथरी की वन भूमि 4.901
हेक्टेर एवं राजस्व वन भूमि 3.703 हेक्टेर है, उसमें
132 के.सी. विद्युत परीक्षण लाइन निमणि हेतु सर्व
सहमति से पुस्तक पारित किया गया है।

अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
पथरी

सदस्यो के हस्ताक्षर
जमु नावाड़ी उपाध्यक्ष

मकदेडा

मधुराम

अस्तला बाई

राजवाड़ी

अनपुआ

कोमल सिंह

ठा.शु.राम

देवलाल

धनकाय डूँक

कचराम

प्रदर्श 'अ'

कार्यालय ग्राम पंचायत बोरिंगांव विकासखण्ड मैनपुर

जिला- गारियाबंद (छ.ग.)

:- अनापत्ति प्रमाण पत्र:-

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेशन कम्पनी मर्यादित द्वारा ग्राम पंचायत बोरिंगांव (पचरी)

के आरक्षित/राजस्व वन क्षेत्र में 132 के.व्ही. विद्युत पारेशन लाईन स्थापित करने में हमारे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः हमारे ग्राम पंचायत के कक्ष क्रमांक 1060, 1061 प्रस्तावित रकबा 8.604 हे० आरक्षित / राजस्व वन क्षेत्र में लाईन स्थापना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में सर्वसम्मती से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक 02/10/2016

धिरेंदी मांशी

सरपंच

ग्राम पंचायत बोरिंगांव
ज.प. मैनपुर, जिला गारियाबंद (छ.ग.)

महेश्वर

अध्यक्ष

वन प्रबंधन समिति

पचरी

प्रदीप

सचिव/परिसर रक्षी

वन प्रबंधन समिति

पचरी

ग्राम सभा - बोरिंगोव की बैठक दिनांक 02.10.2016

कार्यवाही का विवरण

ग्राम बेहराजीह स्थान सभा भवन बोरिंगोव

आज दिनांक 02.10.2016 का ग्राम पंचायत बोरिंगोव के सरपंच श्री/श्रीमति हिरोदी मोक्षी की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 70 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों में चर्चा की गई -

ग्राम बेहराजीह में आवेदक कार्यपालन अभियंता (निर्माण), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, रायपुर ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि में व्यपवर्तन हेतु 10.640 हे0, (कक्ष क0 10.38, 10.36) वन भूमि, 9.377 हे0, राजस्व वन भूमि, कुल 0.913 हे0 वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर-परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहें हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को हक प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
1.	<u>बेहराजीह</u>	<u>राम / बोरिंगा</u>	<u>0.050</u>
2.		<u>मुजनु / बोरिंगा</u>	<u>0.040</u>
3.		<u>लखन / डमरु</u>	<u>0.113</u>
4.		<u>बरनुराम / जेठुराम</u>	<u>0.660</u>

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 10.6.90 हे० कक्ष क० 1078, 1076, वन भूमि 9.777 हे०, राजस्व वन भूमि कुल योग 0.513 हे०, वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मेसर्स ए.०.रा.०.वि.० पारे.०.अर्पा.रा.पु.को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

हिरोंदीमांझी
सरपंच

कृष्णधरदाससाईगांव
ज.प्र. नैनपुर, जिला गरियाबंद (छ.ग.)

रामसिंह
अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति बेठवांड
जिला - गरियाबंद (छ.ग.)

प्रस्ताव

आज दिनांक 02/10/2016 दिन रविवार को वन प्रबंधन समिति बेहराडीह की आतश्यक बैठक शाला परिसर में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यो के बीच रखा गया जिसमें ग्राम बेहराडीह की वन भूमि 9.777 हेक्टेयर एवं राजस्व वन भूमि 0.913 हेक्टेयर है उसमें 132 के०सी० विद्युत पारेषण लाइन निर्माण हेतु सर्वे समिति से प्रस्ताव पारित किया गया है।

सदस्यों के हस्ताक्षर

रामकिशोर
अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति बेहराडीह
जिला - गोरखपुर (उ.प्र.)

- ① शंभुराम/रघुराम कमाए शंभुराम
- ② सोपसिंह/दसरु कमाए सोपसिंग
- ③ सुखरु राम/लखीराम सुखराम
- ④ बाबूलाल/लखरु कमाए Babulal
- ⑤ दयालु राम/बजाउ राम दयालु

प्रदर्श 'अ'

कार्यालय ग्राम पंचायत बोईरगांव विकासखण्ड मैनपुर

जिला- गरियाबंद (छ.ग.)

:- अनापत्ति प्रमाण पत्र:-

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेशन कम्पनी मर्यादित द्वारा ग्राम पंचायत बोईरगांव (बेहराडीह) के भारद्वाज/राज्य वन क्षेत्र में 132 के.व्ही. विद्युत पारेशन लाइन स्थापित करने में हमारे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः हमारे ग्राम पंचायत के कक्ष क्रमांक 1078, 1076 प्रस्तावित रकबा 10.690 हे० भारद्वाज/राज्य वन क्षेत्र में लाइन स्थापना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में सर्वसम्मती से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक 02.11.2016

हिरौंदीमांझी
सरपंच

ग्रामपंचायत बाईरगांव
ज.प्र. मैनपुर, जिला गरियाबंद (छ.ग.)

सचिव
वन प्रबंधन समिति बेहराडीह
जिला - गरियाबंद (छ.ग.)

ग्राम सभा - बोईरगांव की बैठक दिनांक 02.10.2016

कार्यवाही का विवरण

ग्राम डुमरघाट स्थान बोईरगांव

आज दिनांक 02.10.2016 का ग्राम पंचायत बोईरगांव के सरपंच श्री/श्रीमति हिरोंदी मांझी की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 70 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों में चर्चा की गई -

ग्राम डुमरघाट में आवेदक कार्यपालन अभियंता (निर्माण), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, रायपुर ने (गैर वानिकि कार्य) के लिए वन भूमि में व्यपवर्तन हेतु 0.886 हे0, (कक्ष क0 RF-1091) वन भूमि, 0.000 हे0, राजस्व वन भूमि, कुल 0.886 हे0 वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर-परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहें हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को हक प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
	<u>डुमरघाट</u>	<u>निरंक</u>	<u>निरंक</u>

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि.....0.886 हे० कक्ष क० RF 1091..... वन भूमि
.....हे० राजस्व वन भूमि कुल योग.....0.886.....हे० वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मेसर्स.....ब० रा० वि०
पारे लेंगे मर्दा जयपुर को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यववर्तित की जावे।

रुखी राश

अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
जयपुर

दिशैदी मांशी
सरपंच
जयपुर
ज.प. जैनपुर, जि. जयपुर (उ.प्र.)

प्रदर्श 'अ'

कार्यालय ग्राम पंचायत बोरिंगांव विकासखण्ड मैनपुर

जिला- गारियाबंद (छ.ग.)

-: अनापत्ति प्रमाण पत्र:-

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेण कम्पनी मर्यादित द्वारा ग्राम पंचायत बोरिंगांव (डुमरघाट)
के भाराक्षित वन क्षेत्र में 132 के.व्ही. विद्युत पारेण लाईन स्थापित करने में हमारे ग्राम पंचायत
को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः हमारे ग्राम पंचायत के कक्ष क्रमांक RF-1691 प्रस्तावित रकबा 0.886 हे०
भाराक्षित वन क्षेत्र में लाईन स्थापना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में सर्वसम्मती
से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक.....

सुखी शर्मा

अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
डुमरघाट

धिरेंद्र मोश्री
सरपंच

ग्राम पंचायत बोरिंगांव
ज.प. मैनपुर, जिला गारियाबंद (छ.ग.)

ग्राम सभा - बोईरगांव की बैठक दिनांक 02/10/2016

कार्यवाही का विवरण

ग्राम बोईरगांव स्थान सभा भवन बोईरगांवआज दिनांक 02/10/2016 का ग्राम पंचायत बोईरगांव के सरपंच श्री/श्रीमति हिरींदी मौरी

.....की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 70 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों में चर्चा की गई -

ग्राम बोईरगांव में आवेदक कार्यपालन अभियंता छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0 रायपुर ने (गैर वानिकि कार्य) के लिए वन भूमि में व्यपवर्तन हेतु हे0, कक्ष क0 — वन भूमि, — हे0 राजस्व वन भूमि, कुल 3.039 हे0 वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाइन कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर-परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को हक प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
1.	बोईरगांव	साधुलाल/लुलाराम गोंड	0.20
2.		लछिन्द्र साव/गजेन्द्र गोंड	0.27
3.		सगरिया/रघुनाथ गोंड	0.15
4.		जगराम/सगरिया गोंड	0.25
5.		सुकलाल/जरहा गोंड	0.22
6.		पुनारद/लखमु गोंड	0.223
7.		भानू/पुनारद गोंड	0.190
8.		सुखरु/लखीराम कुमार	0.25
9.		लच्छन/भागीरथी गोंड	0.27
10.		जगमोहन/सुखराम गोंड	0.29
11.		मंगल/दर्शन	0.09
12.		हजारु/रामचन्द्र	0.05
13.		महगु/बोंगा	0.07
14.		खेलन/कन्हैया	0.03
		कुल	2.553

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि.....हे०, कक्ष क०..... वन भूमि
.....हे०, राजस्व वन भूमि कुल योग 3.039.....हे० वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मेसर्स ब०.श०.वि०
पोरे०.के०.मर्मा.राय को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

बोरे ०.के०.मर्मा

अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
बोरे ०.के०.मर्मा

धौदी मांझी
सरपंच

ग्रहस्थाक्षरतसारपूर्वकांठ
ज.प. मैन्पुर, जि. गारियानंद (छ.ग.)

प्रस्ताव

आज दिनांक 02/10/2016 दिन शनिवार को वन प्रबंधन समिति बोईरगांव की आवश्यक बैठक ग्राम पंचायत भवन पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों के बीच रखा गया जिसमें ग्राम बोईरगांव की वन भूमि - हेक्टेर एवं राजस्व वनभूमि 3.039 हेक्टेर हैं, उसमें 132 के.वी. विद्युत पारेवण लाइन निर्माण हेतु सर्व सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया है।



वन प्रबंधन समिति
बोईरगांव

सदस्यों के हस्ताक्षर

दुत वारु राम

मुकर सिंह

चेतन सिंह



मुकेश सिंह
राम सिंह



ग्राम सभा - छोटे गोबरा की बैठक दिनांक 17.09.2016

कार्यवाही का विवरण

ग्राम छोटे गोबरा स्थान पंचायत भवन

आज दिनांक 17.09.2016 का ग्राम पंचायत छोटे गोबरा के सरपंच श्री/श्रीमति रेखा बाई की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 50 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों में चर्चा की गई -

ग्राम छोटे गोबरा में आवेदक कार्यपालन अभियंता (निर्माण), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, रायपुर ने (गैर वानिकि कार्य) के लिए वन भूमि में व्यपवर्तन हेतु 22.246 हे0, (कक्ष क0 RF-969, 970, 1055, 1054, 1085) वन भूमि, 0.000 हे0, राजस्व वन भूमि, कुल 22.246 हे0 वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर-परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहें हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को हक प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
1.	<u>छोटे गोबरा</u>	<u>बिरजुराम / फागुराम</u>	<u>1.900</u>
2.	<u>छोटे गोबरा</u>	<u>जोगेश्वर / स्व.देवसिंग</u>	<u>1.326</u>

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 22.246 हे० कक्ष क० 969,970,1055,1054 वन भूमि
0.000 हे० राजस्व वन भूमि, कुल योग 22.246 हे० वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मेसर्स द० रा० वि० पा०
कं० म० रायपुर को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

जी नकुमार
ग्रामपंचायत
मुख्यालय
जोटे गोबरा

हस्ताक्षर सरपंच
सुखदेव
ग्राम पंचायत मुख्यालय
वि. खं. मैनपुर, जि. गंगानगर (छ. ग.)

प्रदर्श 'अ'

कार्यालय ग्राम पंचायत छोटे गोबरा विकासखण्ड मैनपुर

जिला- गारियाबंद

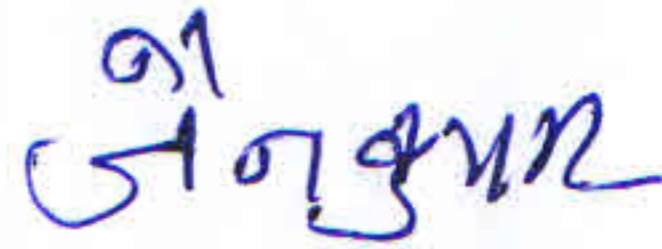
—: अनापत्ति प्रमाण पत्र:—

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित द्वारा ग्राम पंचायत छोटे गोबरा

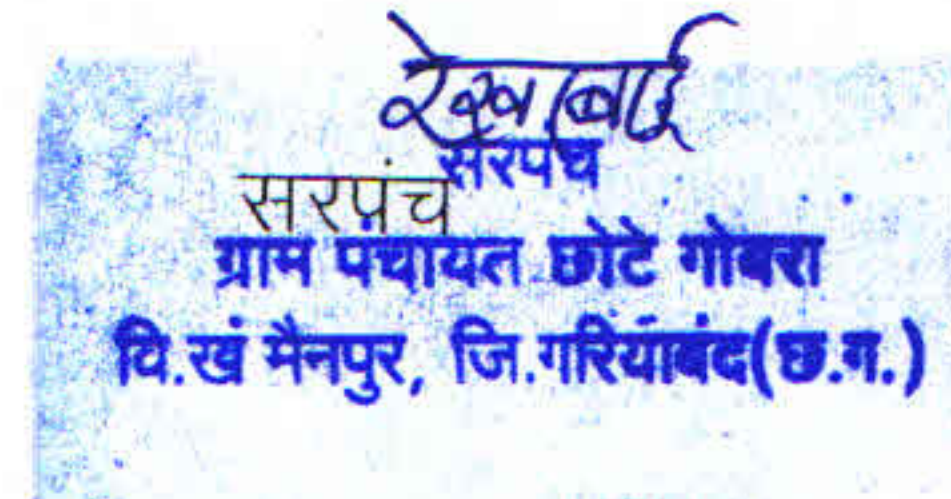
के आरक्षित वन क्षेत्र में 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन स्थापित करने में हमारे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः हमारे ग्राम पंचायत के कक्ष क्रमांक RF-969,970, 1055, 1054, 1058 प्रस्तावित रकबा 22.246 हे० आरक्षित वन क्षेत्र में लाईन स्थापना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में सर्वसम्मती से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक 17.09.2016



आयता
वन सुरक्षा समिति
छोटे गोबरा


सरपंच
ग्राम पंचायत छोटे गोबरा
वि.खं मैनपुर, जि.गारियाबंद(छ.ग.)

प्रस्ताव

आज दिनांक 17.09.2016 दिन-शनिवार को वन प्रबंधन समिति छोटेगोबरा की आवश्यक बैठक सामुदायिक भवन पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों के बीच रखा गया जिसमें ग्राम छोटेगोबरा राजस्व वन भूमि 0.00 हे. एवं वन भूमि 21.246 हे. है, उसमें 132 KV विद्युत लाईन निर्माण हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है

अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
छोटेगोबरा

जोगेंद्र कुमार

अध्यक्ष
वन सुरक्षा समिति
छोटे गोबरा

सदस्यों का हस्ताक्षर

रामनाथ

बैसाखुराम

मोतीराम

गोवर्धन

देवका वर्मा

जयलाल

रामसाई

विजय

बालसिंग

बुधराम

विमलानंद

सुदामा पंत

मोतीराम वर्मा

विजय कुमार

प्रस्ताव

आज दिनांक 17.09.2016 दिन-रविवार को वन प्रबंधन समिति कारीपादा, ग्राम पंचायत छोटे गोबरा की आवश्यक बैठक रंग-मंच पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों के बीच रखा गया, जिसमें ग्राम कारीपादा राजस्व वन भूमि हे० एवं वन भूमि हे० हे, उसमें 132 के० व्ही० विद्युत पोदेखण लाईन निर्माण हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है।

मैकली राण

अध्यक्ष

वन सुरक्षा समिति

कारीपादा

सावित्री बाई

उपाध्यक्ष

ग्राम पंचायत छोटे गोबरा

वि.सं. मैनपुर, जिला गरियाबंद

समय बाई

ग्राम पंचायत छोटे गोबरा

वि.सं. मैनपुर, जिला गरियाबंद (उ.ग.)

सदस्यों का हस्ताक्षर

गोदलाल यादव

धनाराम

जानक्याराम

पद्मेश

कैकरी बाई

सुखभानु

सुखभानु बाई

तिलेश्वरी

ममला

अमीना बाई

अमिता बाई

अनन्दाशु

मीमा बाई

लक्ष्मी देवी

मंगल राम

धनेशवरी

कुमेश्वरी

कार्यालय, ग्राम पंचायत

दिनांक 17/9/2016

बैठक की कार्यवाही नकल

पं

विकासखण्ड

मैतपुर

तहसील मैतपुर

जिला झापा

(छत्तीसगढ़)

क्र.	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
1	रेखावाही लटपंच बादिनीग्रामपंच उपलक्षपंच जिम्मेदार पंच कुदाना पंच हीतवाही पंच लुक्का पंच	सस्ताव वन भूमि 132 के वही विद्युत पारगण लाहन कार्य के व्यपवर्तिन कठिवाकत	आपु दिनेश 17/9/2016 को ग्राम पंचायत कार्यवाही में ग्राम सभा 2016 में जिसमें आवेदन कार्यवाही में (नि) लेमाग हंग पुव. प्र. के मसाले शायद न (गुलवानिनी ग्रामपंच) के लिये वन भूमि में व्यपवर्तिन हंग कत 1057, 1054, 1058, वन भूमि 132 के गई है। इसमें ग्राम पंचायत हंग ग्रामवासियों में दफा गई आपकी गई है। वन भूमि कुल 22.246 हेक्टेयर	अपु सस्ताव सर्व लक्ष्मी स जादिनी सिद्धि ग्राम हंग	लक्ष्मी
2	ग्राम लक्ष्मी				लक्ष्मी

सत्यप्रतिलिपि

सचिव
ग्राम पंचायत
वि. ख. मैतपुर, जि. छत्तीसगढ़ (छ.ग.)

ग्राम सभा - तोरेगा की बैठक दिनांक 05/10/16

कार्यवाही का विवरण

ग्राम जुगाड़ स्थान ग्राम पंचायत

आज दिनांक 05/10/16 का ग्राम पंचायत तोरेगा के सरपंच श्री/श्रीमति वनसिंग सोरी की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 70 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों में चर्चा की गई -

ग्राम जुगाड़ में आवेदक कार्यपालन अभियंता (निर्माण), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, रायपुर ने (गैर वानिकि कार्य) के लिए वन भूमि में व्यपवर्तन हेतु 19.838 हे0, (कक्ष क0 84, 89) वन भूमि, 11.843 हे0, राजस्व वन भूमि, कुल 7.995 हे0 वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर-परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहें हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को हक प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

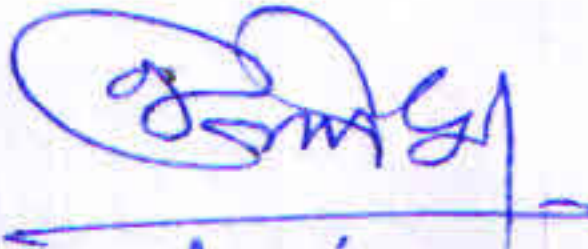
अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
	<u>जुगाड़</u>	<u>महेश कुमार/जयराम</u>	<u>0.060</u>
		<u>डमरु</u>	<u>0.044</u>
		<u>नीलाम्बर</u>	<u>0.070</u>
		<u>राजीवो</u>	<u>0.080</u>

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 19.848 हे० कक्ष को 84.89 वन भूमि 11.843 हे० राजस्व वन भूमि कुल योग 7.895 हे० वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मेसर्स ए.रा.वि. पी० कं० मय्या. रायपुर को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।


हस्ताक्षर सरपंच
ग्राम पंचायत तौरंगा
वि.स्व.-भैनपुर, गरियाबंद (छ.ग.)


05/0 अ.प.प.
वन प्रबंधन समिति
जुलै 15

[illegible]

क्रमांक

दिनांक

सत्य प्रतिलिपि

साचिव

ग्राम पंचायत-

सत्यमेव जयते - सारेगा

1

प्रस्ताव

आज दिनांक 05/10/2016 दिन बुधवार को वन प्रबंधन समिति गुगाड़ की आवश्यक बैठक ग्राम पंचायत तौरंगा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों की नीय रखा गया जिसमें ग्राम गुगाड़ की वन भूमि 11.843 हेक्टेर एवं बाजार वन भूमि 7.995 हेक्टेर है उसमें 132 कि० मी० विद्युत पारेषण लाइन निर्माण हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है।

सदस्यों की हस्ताक्षर


05/10/2016
वन प्रबंधन समिति
गुगाड़

- ① बालीकेश
- ② शिवाजी
- ③ टेकराम
- ④ ईश्वरराज
- ⑤ कुमारी
- ⑥ अनुर
- ⑦ राममन

कार्यालय ग्राम पंचायत तोरिंगा विकासखण्ड मैनपुर

जिला- गारियाबंद (छ.ग.)

—: अनापत्ति प्रमाण पत्र:—

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित द्वारा ग्राम पंचायत तोरिंगा (जुगाड)

के आरक्षित/राजस्त वन क्षेत्र में 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन स्थापित करने में हमारे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः हमारे ग्राम पंचायत के कक्ष क्रमांक 84, 89 प्रस्तावित रकबा 19.838 हे० आरक्षित/राजस्त वन क्षेत्र में लाईन स्थापना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में सर्वसम्मती से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक 05/10/16


अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
जुगाड


सरप्रच
ग्राम पंचायत तोरिंगा
वि.ख.-मैनपुर, गारियाबंद (छ.ग.)

ग्राम सभा - तोरेगा की बैठक दिनांक 05/10/2016

कार्यवाही का विवरण

ग्राम कोदोमाडी स्थान ग्राम पंचायत तोरेगाआज दिनांक 05/10/2016 का ग्राम पंचायत तोरेगा के सरपंच श्री/श्रीमति बनारसि'ग तोरे

की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 70 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों में चर्चा की गई -

ग्राम कोदोमाडी में आवेदक कार्यपालन अभियंता (निर्माण), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, रायपुर ने (गैर वानिकि कार्य) के लिए वन भूमि में व्यपवर्तन हेतु 6.853 हे0, (कक्ष क0 1104) वन भूमि, x हे0, राजस्व वन भूमि, कुल x हे0 वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर-परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को हक प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
	<u>निरंक</u>	<u>निरंक</u>	<u>निरंक</u>

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 6.853 हे० कक्ष क० 1104 वन भूमि
हे० राजस्व वन भूमि कुल योग x हे० वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मेसर्स स.रा.वि०
पारे० रु० मया राख को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

हाल सिंग
अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
कोसेमाली

समाप्त
हस्ताक्षर प्राप्त
ग्राम पंचायत तीरंगा
वि.सं.-मैनपुर, गरियाबंद (छ.ग.)

प्रस्ताव

आज दिनांक 05/10/2016 दिन बुधवार को लाल प्रबंधन
समिति कोदेमाली की आलखु बोंठु ग्राम पंचायत तौरिका
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यो के
बीच रखा गया जिसमें ग्राम कोदेमाली की
वन भूमि 6.853 हेक्टेर एवं वाजस्तवनभूमि -
हेक्टेर है उसमें 132 कि.मी. विद्युत परिचालन
ले लाई निर्माण हेतु सर्व सम्मति से
प्रस्ताव पारित किया गया है।

लाल प्रबंधन

अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
कोदेमाली

सदस्यो के हस्ताक्षर

बालीश्वर

प्रा.श्रीमान

जैमदास

शबन

महेश

पद्मा

रामचंद्र

प्रदर्श 'अ'

कार्यालय ग्राम पंचायत...तेरिंगा... विकासखण्ड...मैनपुर...

जिला-...गरियाबंद (छ.ग.)

—: अनापत्ति प्रमाण पत्र:—

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित द्वारा ग्राम पंचायत...तेरिंगा (कोदोमाली)
के...भारक्षित... वन क्षेत्र में 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन स्थापित करने में हमारे ग्राम पंचायत
को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः हमारे ग्राम पंचायत के कक्ष क्रमांक...1104... प्रस्तावित रकबा...6.853 हे०...भारक्षित
... वन क्षेत्र में लाईन स्थापना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में सर्वसम्मती से
यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक...05/10/16


सरपंच
ग्राम पंचायत तेरिंगा
वि.ख.-मैनपुर, गरियाबंद (छ.ग.)


अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
कोदोमाली

ग्राम सभा - तोरेगा की बैठक दिनांक 05/10/2016

कार्यवाही का विवरण

ग्राम तोरेगा स्थान ग्राम पंचायत तोरेगाआज दिनांक 05/10/2016 का ग्राम पंचायत तोरेगा के सरपंच श्री/श्रीमति बनारीग मोरी

की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों में चर्चा की गई -

ग्राम तोरेगा में आवेदक कार्यपालन अभियंता (निर्माण), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, रायपुर ने (गैर वानिकि कार्य) के लिए वन भूमि में व्यपवर्तन हेतु 6.508 हे0, (कक्ष क0 1105-1106) वन भूमि, हे0, राजस्व वन भूमि, कुल हे0 वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर-परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहें हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को हक प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
-	<u>निरैकु</u>	<u>निरैकु</u>	<u>निरैकु</u>

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 6:508 हे० कक्ष क० 1104, 1105, 1106 वन भूमि

* हे० राजस्व वन भूमि कुल योग * हे० वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मेसर्स छ० रा० वि० पारे०
छ० रा० वि० पारे० को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यववर्तित की जावे।

अध्यक्ष वन प्रबंधन समिति लौरंगा

अखिलेश्वर सोरी

वन प्रबंधन समिति
लौरंगा


हस्ताक्षर सरपंच
ग्राम पंचायत लौरंगा
वि.स्व.-भैरपुर, गरियाबंद (छ.ग.)

प्रस्ताव

आज दिनांक 05/10/2016 दिन बुधवार को वन प्रबंधन समिति तौरंगा की आवश्यक बैठक ग्राम पंचायत तौरंगा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यो के बीच रखा गया जिसमें ग्राम तौरंगा की वन भूमि 6.508 हेक्टे. एवं बाजारस्वतन्त्रभूमि - हेक्टे. है इसमें 132 के.वी. विद्युत परियोजना लाईन निर्माण हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है।

अध्यक्ष

लखनसिंह सोरी

वन प्रबंधन समिति

तौरंगा

उपाध्यक्ष

सुचिधानाई

मेहर

सदस्यो के हस्ताक्षर

(1) जनकजी

(2) मेहरा

(3) पगडू

(4) कुलारम

(5) घासीराम सोदी

(6) देवराई

(7) सुफदेव

(8) कुमल

(9)

कार्यालय ग्राम पंचायत...तोरेगा... विकासखण्ड...मैनपुर...

जिला-...गरियाबंद (ब.ग.)

—: अनापत्ति प्रमाण पत्र:—

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित द्वारा ग्राम पंचायत...तोरेगा...

के...भाराक्षित... वन क्षेत्र में 132 के.वी. विद्युत पारेषण लाईन स्थापित करने में हमारे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः हमारे ग्राम पंचायत के कक्ष क्रमांक...1105/1106... प्रस्तावित रकबा...6.508 हे०...भाराक्षित... वन क्षेत्र में लाईन स्थापना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में सर्वसम्मती से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक...05/10/2016


सरपंच
ग्राम पंचायत तोरेगा
वि.ख.-मैनपुर, गरियाबंद (छ.ग.)

वन प्रबंधन समिति तोरेगा

लक्ष्मणसिंह मोदी

अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
तोरेगा

ग्राम सभा - कोयबा की बैठक दिनांक 16/09/2016

कार्यवाही का विवरण

ग्राम कोयबा स्थान ग्राम पंचायत

आज दिनांक 16/09/2016 का ग्राम पंचायत कोयबा के सरपंच श्री/श्रीमति बेलमति की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य १० प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों में चर्चा की गई -

ग्राम कोयबा में आवेदक छोराविपारेकमर्या रायपुर ने (गैर वानिकि कार्य) के लिए वन भूमि में व्यपवर्तन हेतु 5.405 हे०, कक्ष क० 29 वन भूमि, 1.195 हे० राजस्व वन भूमि, कुल 4.210 है वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर-परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को हक प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे०में)
1.	कोयबा	रायमती/पुनीतराम रावत	0.744
2.		घनश्याम	0.321
3.		संतोष/रामप्रसाद	0.324
4.		बालसिंग	0.24
5.		दीपसिंग	0.246
6.		रोहनी	0.242
7.		धनीराम	0.284
8.		रामचन्द्र	0.070
9.		जगदीश/रामसिंह रावत	0.080
10.		हेमलाल/रामसिंग	0.065
11.		चंदर/बंशी रावत	0.085
		कुल	2.701

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 5.405 हे० कक्ष क० 29 वन भूमि
1.155 हे० राजस्व वन भूमि कुल योग 4.210 हे० वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मेसर्स ७०१० वि०
पारे ० क० ० ० को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यववर्तित की जावे।
२१५६२

कृष्ण कुमार मेडाली
अध्यक्ष
वन सुरक्षा समिति
कोयबा

बेताम ति
हस्ताक्षर सरपंच
ग्राम पंचायत कोयबा
दि. ख. - मैनपुर, गरियाबट (छ. प्र.)

पं

कार्यालय, ग्राम पंचायत तेरायला - ग्राम सभा दिनांक 16/09/2016 बैठक की कार्यवाही नकल

विकासखण्ड - - - - - तहसील - - - - - जिला - - - - - ग्राम पंचायत - - - - -

क्र.	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
(1)	प्रीमति देवसमिति व सदस्य	ग्राम सभा के अध्यक्ष	दिनांक 16/09/2016 को जी देवसमिति के अध्यक्ष	क	क
(2)	जी देवसमिति के अध्यक्ष	वर्ग क्रम में 132	मे ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें	क	क
(3)	केलास सदस्य	KV विद्युत परीक्षण	चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि नजरी	क	क
(4)	योगेश	लाइन व नमोठा काबल	से इन्फार्मेशन 132 KV विद्युत परीक्षण लाइन	क	क
(5)	जलसाय		निर्माण करने हेतु कार्य पालन अभियान	क	क
(6)	टिकमसिंह केडी		विद्युत को उलगाव प्रदान करने हेतु सर्व सम्पत्ति	क	क
(7)	बनसिंह दार		से उलगाव किया जा रहा है।	क	क
(8)	हरिहर सिंह			क	क
(9)	रिखीराम			क	क
(10)	गुलाब			क	क
(11)	लालिन			क	क
(12)	राजमल			क	क
(13)	आशाशम			क	क
(14)	अर्जुन			क	क
(15)	मनसाय			क	क
(16)	रामधर			क	क
(17)	अमर 118 सदस्य			क	क
(18)	की उपस्थिति			क	क

सत्यप्रतिलिपि
 सचिव
 ग्राम पंचायत कोयमूर पंचायत
 वि.खं.मैनपुर, जिला गरियाबंद (छ.ग.)
 वि.खं.मैनपुर, गरियाबंद (छ.ग.)

प्रस्ताव

आज दिनांक 27-09-16 दिन - गुरुवार को वन प्रबंधन समिति कोयबा की आवश्यक बैठक पंचायत भवन पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यभारिणी सदस्यों के बीच रखा गया जिसमें ग्राम कोयबा वन भूमि हे. एवं वन भूमि इसमें 132 के.व्ही. विद्युत गोदमन लाईन निर्माण हेतु सर्वहम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है

अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति

वृष्ण कुमार भंडारी
अध्यक्ष
वन सुरक्षा समिति
कोयबा

सदस्यों का हस्ताक्षर

~~राजकुमार~~
राजकुमार
कंचन सिंह
प्रसन्न
राजेश
देवराज
Ran/Ram
कुंजराकर
का

प्रदर्श 'अ'

कार्यालय ग्राम पंचायत कोयबा विकासखण्ड भैरपुर

जिला- गरियाबंद

:- अनापत्ति प्रमाण पत्र:-

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित द्वारा ग्राम पंचायत कोयबा

के भारती/राजव वन क्षेत्र में 132 के.वी. विद्युत पारेषण लाईन स्थापित करने में हमारे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः हमारे ग्राम पंचायत के कक्ष क्रमांक 29 प्रस्तावित रकबा 5.405 हे० भारती राजव वन क्षेत्र में लाईन स्थापना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में सर्वसम्मती से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक 29/09/16

शुक्ल कुमार मंडवी
अध्यक्ष
वन सुरक्षा समिति
कोयबा

वेदमति
सरपंच
ग्राम पंचायत कोयबा
दे.ख.-भैरपुर, गरियाबंद (छ.ग.)
29/9/2016

ग्राम सभा - अड़गरी की बैठक दिनांक 20.09.2016

कार्यवाही का विवरण

ग्राम अड़गरी स्थान पंचायत भवन

आज दिनांक 20.09.2016 का ग्राम पंचायत अड़गरी के सरपंच श्री/श्रीमति खेमि बई

की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 50 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों में चर्चा की गई -

ग्राम अड़गरी में आवेदक कार्यपालन अभियंता (नि.) क. रा. वि. पारे. कं. भया. रायपुर ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि में व्यपवर्तन हेतु 12.927 हे०, कक्ष क० 1102 वन भूमि हे०, राजस्व वन भूमि कुल ४ है वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाइन कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर-परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को हक प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे०में)
1.			

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 12.927 हे० कक्ष क० 1102 वन भूमि हे० राजस्व वन भूमि कुल योग हे० वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मेसर्स कार्यपालन अभियंता (नि.) क. रा. वि. पारे. कं. भया. रायपुर को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

वसुंधरा मरकाम
अध्यक्ष / सचिव
वन प्रबंधन समिति
अड़गरी

सचिव
ग्राम पंचायत अड़गरी

खेमि बई
सरपंच
ग्राम पंचायत अड़गरी
वि.सं. अड़गरी सरपंच

प्रदर्श 'अ'

कार्यालय ग्राम पंचायत अड़गरी विकासखण्ड मैनपुर

जिला- हारियाबंद

—: अनापत्ति प्रमाण पत्र:—

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित द्वारा ग्राम पंचायत अड़गरी

के भाराक्षित वन क्षेत्र में 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन स्थापित करने में हमारे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः हमारे ग्राम पंचायत के कक्ष क्रमांक 1112/1109 प्रस्तावित रकबा 12.927 हे०

भाराक्षित वन क्षेत्र में लाईन स्थापना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में सर्वसम्मती से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

बेबे मिर्बाट्टी
सरपंच

ग्राम पंचायत अड़गरी
वि.खं.-मैनपुर, जि.-हारियाबंद(छ.ग.)

सरपंच

दिनांक 20.09.2016

वसुंधरा देवम मरकाम

अध्यक्ष / सचिव

वन प्रबंधन समिति

अड़गरी

प्रस्ताव

आज दिनांक 29.09.16 दिन-गुन्नाद को वन प्रबंधन समिति अड़गड़ी की आवश्यक बैठक पंचायत भवन पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों के बीच रखा गया, जिसमें ग्राम अड़गड़ी वन भूमि 12.927 हे. एवं राजस्व वन भूमि - हे. हैं, इसमें 132 KV विद्युत पोदेसन लाईन निर्माण हेतु सर्व समिति से प्रस्ताव पारित किया है। कल क्रमांक - 1105.1112

अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
अड़गड़ी

श्री दरम मरकाम

अध्यक्ष / सचिव
वन प्रबंधन समिति
अड़गड़ी

सदस्यों का हस्ताक्षर

सुकूर
देविल कुमार

श्रीराम

बेबिन बाई

कुललाल

बलिराम

पुनीनराम

अगाशम

क. क. म. म.

दयानिधि

श. (नि.)
४२

क्रमांक

दिनांक २०/१०/१६

325812

पर्यालय, ग्राम पंचायत

वि. खं.

282

तहसील

५५

जिन्ना २७/१२/१९४६

क्र.	उपस्थित पंचों के नाम	विषय (प्रस्ताव)	बैठक की संक्षिप्त में कार्यवाही	प्रस्ताव जो पारित हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
01	श्रीमती खेमनंदी देवी	प्रस्ताव 04	दिनांक 20.09.2016 को प्रो. उममहाराज राम की कार्यवाही में	सर्व सम्मति से	
02	श्रीमती कौशिकी	प्रस्ताव 04	प्रो. उममहाराज राम की कार्यवाही में	सर्व सम्मति से	
03	श्रीमती देवी	प्रस्ताव 04	प्रो. उममहाराज राम की कार्यवाही में	सर्व सम्मति से	
04	श्रीमती देवी	प्रस्ताव 04	प्रो. उममहाराज राम की कार्यवाही में	सर्व सम्मति से	
05	श्रीमती देवी	प्रस्ताव 04	प्रो. उममहाराज राम की कार्यवाही में	सर्व सम्मति से	
06	श्रीमती देवी	प्रस्ताव 04	प्रो. उममहाराज राम की कार्यवाही में	सर्व सम्मति से	
07	श्रीमती देवी	प्रस्ताव 04	प्रो. उममहाराज राम की कार्यवाही में	सर्व सम्मति से	
08	श्रीमती देवी	प्रस्ताव 04	प्रो. उममहाराज राम की कार्यवाही में	सर्व सम्मति से	
09	श्रीमती देवी	प्रस्ताव 04	प्रो. उममहाराज राम की कार्यवाही में	सर्व सम्मति से	
10	श्रीमती देवी	प्रस्ताव 04	प्रो. उममहाराज राम की कार्यवाही में	सर्व सम्मति से	
11	श्रीमती देवी	प्रस्ताव 04	प्रो. उममहाराज राम की कार्यवाही में	सर्व सम्मति से	

नाम पंचायत अडगडी

सचिव

सर्प
ग्राम पंचायत

सरपंच
सरपंच

ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत अड़ादी
 वि. खं. - मैनपुर, जि. - गरियाबंद (छ.प्र.)